भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार टैरिफ (पैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2007

2007 का संख्यांक 2

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2007

सं. 301–18/2007–आर्थिक – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्:–

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (पैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2007 कहा जाएगा।

   (2) यह आदेश जून, 2007 के पांचवें दिन से प्रवृत्त होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में, खंड 3 में, 'अनुसूची I से X' शब्द और अंकों के स्थान पर 'अनुसूची I से XI' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची X के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"अनुसूची XI
(खंड 3 देखें)

दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) के विनियम 16 उप—विनियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवांछनीय व्यावसयिक संप्रेषण के लिए टैरिफ

	मद	टैरिफ
1.	बुनियादी सेवाओं (आईएसडीएन के अलावा) से किए गए अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण	मद 1 के सम्मुख निर्दिष्ट प्रत्येक अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 5,00 रु0
2.	सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस) से किए गए अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण	मद 2 के सम्मुख निर्दिष्ट प्रत्येक अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 5,00 रु0

(साधना दीक्षित)
प्रधान सलाहकार (एफए एवं आईएफए एवं आर्थिक)

टिप्पणी 1 — दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 9 मार्च, 1999 की अधिसूचना सं. 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधन किया गयाः—

संशोधन संख्या	**अधिसूचना संख्या और तारीख**
पहला	301—4/99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999

दूसरा	301–4 / 99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301–4 / 99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301–4 / 99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999
5वां	301–4 / 99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6वां	301–4 / 99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
7वां	301–8 / 2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वां	301–8 / 2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वां	301–8 / 2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306–1 / 99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310–1(5) / ट्राई–2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301–9 / 2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303–4 / ट्राई–2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306–2 / ट्राई–2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310–1(5) / ट्राई–2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310–5(17) / 2001–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001
17वां	301 / 2 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303 / 3 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002
19वां	303 / 3 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312–7 / 2001–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002

म्म्□□	312–5 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वां	303 / 8 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वां	306–2 / 2003–आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306–2 / 2003–आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306–2 / 2003–आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303 / 6 / 2003–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301–51 / 2003–आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301–56 / 2003–आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301–4 / 2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301–2 / 2004–आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301–37 / 2004–आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301–31 / 2004–आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312–7 / 2003–आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312–7 / 2003–आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312–7 / 2003–आर्थिक दिनांक 2.6.2005
39वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301–34 / 2005–आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301–2 / 2006–आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44वां	301–34 / 2006–आर्थिक दिनांक 24.1.2007

टिप्पणी 2 व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (पैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2007 के लिए उदद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने टेलीमार्केटिंग क्रियाकलापों के संचालन हेतु किए जाने वाले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषणों को विनियमित करने के लिए 5 जून, 2007 को दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 बनाए हैं। भारत में विद्यमान ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार, टेलीमार्केटिंग क्रियाकलापों में, अन्य बातों के साथ–साथ, शामिल है, ऐसे सब्सक्राइबरों को अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण करना जिन्होंने कॉल करने वाले पक्ष को ऐसे क्रियाकलापों हेतु कॉल करने के लिए अपनी सुस्पष्ट पूर्व सहमति प्रदान न की हो। बड़ी संख्या में सब्सक्राइबरों की यह राय है कि ऐसे अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण असुविधाजनक तथा व्यवधान पैदा करने वाले हैं क्योंकि वे उनका समय नष्ट करते हैं तथा ये उनकी गोपनीयता को भंग करने के अलावा उनके क्रियाकलापों में उस समय हस्तक्षेप भी करते हैं जिस समय ऐसी कॉलें की जाती हैं। अतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ऐसे सब्सक्राइबरों, जो ऐसी कॉलें प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, को अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण प्राप्त होने से रोकने के लिए तथा इस संबंध में उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए एक व्यापक समाधान तलाशने हेतु सभी स्टेकहोल्डरों के विचार प्राप्त करने के लिए 20/11/2006 को एक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की थी।

2. परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् 5 जून, 2007 को जारी दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 में एक राष्ट्रीय कॉल–न–करें रजिस्टर की स्थापना के लिए उपबंध किया गया है, जिसमें ऐसे सब्सक्राइबर, जो अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण प्राप्त न करने के लिए अपने टेलीफोन नम्बरों को पंजीकृत करा सकते हैं, जिससे ऐसे सब्सक्राइबर अपनी गोपनीयता को बनाए रखने में तथा ऐसी कॉलों के कारण उन्हें होने वाली असुविधा को दूर करने में समर्थ हो सकेंगे। उक्त विनियम 16 के उप–विनियम (3) के खंड (ख) में अपेक्षित है कि कोई सेवा प्रदाता किसी अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के प्रेषक से उस दर पर टैरिफ प्रभारित करेगा, जोकि दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के अधीन निर्दिष्ट की गई है। दूरसंचार टैरिफ (पैंतालीसवां

संशोधन) आदेश, 2007 दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 के उक्त खंड 16 के अनुसरण में एक्सेस सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषक से ऐसे अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषणों के लिए प्रभारित किए जाने वाले टैरिफों को विनिर्दिष्ट करता है।

3. प्राधिकरण आशा करता है कि अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए टैरिफ की उच्च दर (अर्थात प्रत्येक ऐसे सम्प्रेषण के लिए 5,00 रु0) अधिसूचित किए जाने से उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हित भी रक्षा होगी तथा यह दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुकर बनाएगा।